N.O.C

संख्या-2070/15(13)/92-37(25)/90.

प्रेषक,

अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2/19 सन्त विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा (13) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 1992.

विषय :- सरती देवी राजाराम पब्लिक स्कूल, शामली, मुजफ्फरनगर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरती देवी राजाराम पब्लिक स्कूल, शामली, मुजफ्फरनगर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/ओर नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5) संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

......2:

(2)

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

संख्या- 2070(1)/15(13)/92-37(25)/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, 10 पार्क रोड, लखनऊ ।
(2) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
(3) जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ।
(4) निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) प्रबन्धक, सरती देवी राजाराम पब्लिक स्कूल, शामली, मुजफ्फरनगर ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।